संलग्नक-4

संख्या-4061/38-3-2000-500141/2000 टी0सी0

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक :: 18 अक्टूबर, 2000

विषय :- विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर 2.1 में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि विधायक निधि की धनराशि से कोई भी कार्य स्वंय सेवी संगठनों (N°G°O's) के माध्यम से नहीं कराया जाय।

2- अतः विधायक निधि के संचालन हेतु शासनादेश संख्या 4560/1/38-3-98-300(1)/98 दिनांक 22 दिसम्बर, 1998 को जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर 2.1 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रस्तर 2.1 के अन्तिम पंक्ति के साथ निम्नवत पंक्ति को भी सम्मिलित किया जाता है :-

" विधायक निधि की धनराशि से कोई भी कार्य स्वंय सेवी संगठनों(N°G°O°'s) के माध्यम से नही कराया जायेगा।"

3- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं समय-समय पर इस निमित्त जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।

संख्या 4061 (1)/38-3-2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ उनके निजी सचिव को।
7- समस्त जिलाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र भौनवाल)
सचिव।